सूचना

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता
कोलकाता गोदी प्रणाली
वित्त प्रभाग

संख्या.वित्त/पीएसएलआई/डीएलसी/20/987 दिनांक 24/12/2020

सभी पेंशनधारक/ पारिवारिक पेंशनधारक
कोलकाता गोदी प्रणाली

विषय: जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र दिया जाना ।

जीवन प्रमाण (डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र) जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से पेंशनभोगियों के लिए बनाया गया एक बायोमेट्रिक डिजिटल सेवा है । कोई भी पेंशनभोगी चाहे वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य सरकारी संगठन से संबंधित हो, इस सुविधा का लाभ उठा सकता है ।

डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र पेंशनभोगियों को उनके व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता से निजात दिलाता है जो पहले जीवन प्रमाणपत्र के लिए जरूरी था । कोविड परिस्थिति के कारण इसका महत्व और बढ़ जाता है ।

कोलकाता गोदी प्रणाली को जीवन प्रमाण पोर्टल में पेंशन संवितरण प्राधिकारी (पीडीए) के रूप में पंजीकृत किया गया है और तदनुसार, कोलकाता गोदी प्रणाली के सभी पेंशनधारक / पारिवारिक पेंशनधारक को जीवन प्रमाण पोर्टल का प्रयोग करते हुए जीवन प्रमाण के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अनुरोध किया जा रहा है।

भारत सरकार के जीवन प्रमाण पोर्टल का प्रयोग करते हुए कोलकाता गोदी प्रणाली के पेंशनधारक / पारिवारिक पेंशनधारक निम्नलिखित कदमों का अनुसरण करते हुए ऑनलाइन आधार आधारित डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तैयार कर सकते हैं और प्रस्तुत कर सकते हैं ।

कोलकाता गोदी प्रणाली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के नोडल अधिकारी का नाम निम्नवत है:-

नोडल अधिकारी का नाम- श्री विश्व रंजन विश्वास, उप मुख्य लेखा अधिकारी
दूरभाष संख्या-(033) 7101-2307
Email-bbiswas@kolkataporttrust.gov.in

जीवन प्रमाण या डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र क्या है?

जीवन प्रमाण पेंशनभोगी के लिए कंप्यूटर जनित 'जीवन प्रमाणपत्र' है। व्यक्तिगत पेंशनभोगी के लिए जीवन प्रमाण पत्र उनके बायोमेट्रिक विश्वसनीयता का प्रयोग करके बनाया जाता है ।

यह कैसे सरकारी अधिकारियों / एजेंसियां द्वारा जारी किए जाने वाले पारंपरिक जीवन प्रमाण पत्र से भिन्न है ?

इस प्रमाण पत्र के लिए, व्यक्तिगत पेंशनधारकों को अधिकृत अधिकारियों के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसे घर से भी बनाया जा सकता है। केवल पेंशनभोगी को इंटरनेट कनेक्शन और बायोमेट्रिक उपकरण की आवश्यकता होती है ।

अगर मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो मैं जीवन प्रमाण कैसे बना सकता हूं?

अपना पंजीकरण कराने के लिए अपने निकटतम नागरिक सेवा केंद्र (सीएससी) या डाकघर में जाएँ (सेंटर लिंक लोकेट का प्रयोग कर साइट पर उपलब्ध विवरण देख सकते हैं)

मैं सीएससी / नामित कार्यालय को कैसे ढूढूंगा?

1. जीवन प्रमाण वेबसाइट https://jeevanPramaan.gov.in या https://lifecertificate.gov.in में जाएँ और "Locate a Centre" विकल्प का उपयोग करके सेंटर ढूंढें और प्रयोज्य विवरण दें, अथवा
2. 7738299899 पर एसएमएस करें "JPL" <Space> पिनकोड (उदाहरण के लिए, यदि पेंशनभोगी के आवास का पिनकोड 721607 है तो संदेश में "JPL 721607" लिखें और 7738299899 पर एसएमएस करें । पोर्टल, उस अंचल में उपलब्ध सभी केंद्र की सूची प्रदान करेगा । जहाँ आप जीवन प्रणाम के बनाने के लिए जा सकते हैं।

क्या मैं प्रमाणपत्र के लिए सीएससी पर जा सकता हूं?

जी हां, बैंक / डाकघर में पेंशन खाता धारक कोई भी पेंशनभोगी प्रमाण पत्र के लिए सीएससी पर जा सकते हैं ।

जीवन प्रमाण में पंजीकरण के लिए क्या आवश्यक है?

पेंशनधारक को अपना आधार नंबर, पेंशन रोल नंबर, बैंक खाता संख्या और बैंक विवरण, वर्तमान पता आदि की जानकारी आवश्यक है। विवरण अनुलग्नक में उल्लिखित हैं।

पंजीयन और जीवन प्रमाण प्राप्त करने के तीन तरीके हैं:

- अपने निकटतम सीएससी केंद्र पर जाएं और सीएससी सेवाओं का उपयोग करके ऑनलाइन पंजीकरण करें। इसके लिए आपको मैन्युअल भुगतान करना पड़ सकता है।
- किसी नामित कार्यालय पर जाएँ और अपना पंजीकरण करें।
- एप्लिकेशन डाउनलोड करें और अपने एण्ड्रोइड आधारित स्मार्ट फोन / टैबलेट या विंडोज पीसी / लैपटॉप में डालें और स्वयं का पंजीकरण करें । (आपको इसके लिए बायोमेट्रिक उपकरण की आवश्यकता होगी)।

मैं डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के लिए कैसे पंजीकरण कर सकता हूं?

पेंशनधारक की जानकारी जैसे पेंशन आधार नंबर, पेंशनर का नाम, पेंशन रोल नंबर, जैसा कि केडीएस द्वारा जारी पेंशन पहचान पत्र में दिखाया गया है, बैंक खाता विवरण, पता, मोबाइल नंबर आदि को वेब आधारित / क्लाइंट इंटरफेस के माध्यम से सिस्टम में दिया जाता है और अंत में आधार नंबर का उपयोग करके और पेंशनर की उंगली फिंगर प्रिंट स्कैनर पर रख कर या आईरिस स्कैनर में देख कर पेंशनरों की व्यक्तिगत जानकारी को अभिप्रमाणित किया जाता है । सफल प्रमाणीकरण के बाद, प्रमाण पहचान-पत्र / लेनदेन की संख्या स्क्रीन पर दिखाई देगा और यह सूचना पोर्टल से एसएमएस के जरिये पेंशनभोगी के मोबाइल में भेजा जाता है ।

पोर्टल, सफलतापूर्वक अभिप्रमाणित पेंशनभोगी के लिए इलेक्ट्रॉनिक जीवन प्रमाण बनाता है और इसे केंद्रीय जीवन प्रमाणपत्र रिपॉजिटरी डेटाबेस में संग्रहित किया जाता है।

संवितरक बैंक, पोर्टल और बैंक सर्वर के बीच बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसफर यंत्र के माध्यम से पोर्टल से अपने पेंशनरों का जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।

क्या एक पेंशनभोगी के लिए भारत में जीवन प्रमाण प्राप्त करना आवश्यक है?

नहीं, पेंशनर jeevanpramaan.gov.in पोर्टल डाउनलोड करने के लिए पीसी आधारित एंड्रॉइड / विंडोज एप्लिकेशन का उपयोग कर सकते हैं और किसी भी स्थान से रजिस्टर कर सकते हैं।

एक व्यक्ति को एक वर्ष में कितनी बार पंजीकरण करना होता है?

किसी व्यक्ति को एक बार पंजीकरण कराना होगा और बाद में प्रत्येक वर्ष नवंबर के महीने में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग कर जीवन प्रमाण बना सकते हैं। हालाँकि पेंशनभोगी जो जीवन बीमा निगम से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें वर्तमान पद्धति के अनुसार संबंधित माह में सामान्य रूप से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए

क्या ऑनलाइन पंजीकरण प्रभार्य है? (इस बिंदु का उल्लेख नहीं किया जा सकता है)

जीवन प्रमाण केंद्र, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए एक निर्दिष्ट राशि ले सकता है।

क्या इलेक्ट्रॉनिक जीवन प्रमाण पेंशनरों के लिए अनिवार्य है?

नहीं, यह सुविधा समस्या मुक्त जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दी गई है। पारंपरिक जीवन प्रमाण पत्र भी मान्य हैं।

क्या यह प्रमाण-पत्र वैध है?

हाँ, डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र एक वैध प्रमाणपत्र है और इसे आईटी अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त है। पेंशनभोगी को पेंशन संवितरण अधिकारी के समक्ष जाने और उनके जीवित होने का प्रमाण देने की बाध्यता से बचाता है और सुविधा प्रदान करता है ।

प्रदीप लाला

वित्तीय सलाहकार व
मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी)

अनुलग्न

जीवन प्रमाण आवेदन में भरे जाने का विवरण

आधारवर्चुअल पहचान / पत्र	यूआईडीएआई द्वारा आबंटित पेंशनर का आधारवर्चुअल पहचान पत्र /	
मोबाइल संख्या	पेंशनधारक का कोई वैध मोबाइल संख्या	
ई-मेल आईडी	पेंशनधारक का ईमेल - (वैकल्पिक)आईडी	
पूरा नाम (आधार के अनुसार)	आधार में पंजीकृत पेंशनर का नाम	
पेंशन का प्रकार	प्रयोज्यता के अनुसार निम्नलिखित सूची में से किसी एक का चयन करें (अस्वीकरण के लिए विकल्प नहीं है) *सेवा: वैयक्तिगत के लिए *परिवार: व्यक्ति के मरणोपरांत परिवार को	
संस्वीकृत प्राधिकारी	प्राधिकारी जो किसी व्यक्ति की पेंशन को अनुमोदन और मंजूरी देता है। संस्वीकृति प्राधिकारी सूची https://jeevan-pramaan.gov.in/misc/circular पर उपलब्ध है।	
एजेंन्सी	बैंक का नाम जैसे भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक पूर्व) (यूबीआई, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम ।	
पीपीओ संख्या	पेंशन रोल नंबर, अंकों की संख्या जो 12 पेंशनभोगी को उनकी पेंशन प्राप्त करने में मदद करती है	भिन्न पीएसए/पीडीए के लिए अधिकतम लंबाई तीस भिन्न है।
खाता संख्या	खाता संख्या जिसमें पेंशनभोगी पेंशन प्राप्त करता है और संवितरण एजेंसी से पंजीकृत होता है	